वर्ष 2014–15 में डोडा पोस्त के संयुक्त (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकान एवं उससे सम्बद्व उत्पादन क्षेत्र में थोक) समूह हेतु आवेदन पत्र

भाग– I

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

1	डोडा पोस्त संयुक्त समूह का नाम जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है।	
2	संबंधित जिला आबकारी अधिकारी	
3	नाम आवेदक	
4	पिता/पति का नाम	
5	उम्र (दिनांक 01.01.2014)	
6	पूरा पता	
7	संलग्न आवेदन शुल्क मय ड्राफ्ट संख्या, दिनांक तथा बैंक का नाम	
8	अर्नेस्ट मनी संलग्न मय ड्राफ्ट/रसीद संख्या व दिनांक तथा बैंक का नाम (ज्यादा संख्या होने पर पीछे विवरण लिखे।	
9	यदि आवेदक आयकर दाता है तो पेन नम्बर का उल्लेख किया जावें।	

आवेदक का हस्ताक्षर युक्त फोटो

आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं उपरोक्त उल्लेखित आवेदक घोषणा करता हूँ कि :–

(i) उपर अंकित की गयी सूचना पूरी तरह सही है तथा गलत पाये जाने पर विभाग को स्वीकृति/लाईसेंस निरस्त कर सकने एवं नियमों के अन्तर्गत अन्य कार्यवाही का अधिकार होगा।

(ii) मैं आबकारी विभाग का बाकीदार नही हूँ तथा अनुज्ञापत्र धारण करने के लिए किसी प्रकार अयोग्य नही हूँ।

(iii) मै नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, अनुज्ञापत्र शर्तो व समय–समय पर जारी किये जा सकने वाले विभागीय निर्देशो का पूरी तरह पालन करूंगा। मेरे द्वारा इसमें से किसी का उल्लंघन करने पर आवेदन की स्वीकृति/अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं नियमों के अन्तर्गत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी, मुझे इस बात की जानकारी है।

(iv) आवेदन पर स्वीकृति जारी होने की स्थिति में मैं आवेदन पत्र के साथ विभाग द्वारा दिये गये विस्तृत विवरण अनुसार निर्धारित अवधि में धरोहर राशि, बैंक गारन्टी एवं लाईसेंस फीस की राशि जमा करा दूँगा।

दिनांक :

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये

प्रमाणितकर्त्ता के हस्ताक्षर मय सील

भाग– II

(डोडा पोस्त संयुक्त समूह के बन्दोबस्त वर्ष 2014–15 लॉटरी के लिए पर्ची)

नाम दुकान :..

नाम आवेदक :... आवेदक के हस्ताक्षर

....

भाग–III

(वर्ष 2014–15 हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद)

आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त फोटो

श्री/श्रीमती/कुमारी...

पुत्र/पत्नि/पुत्री..

निवासी .... द्वारा डोडा पोस्त संयुक्त समूह ....(नाम संयुक्त समूह) का आवेदन पत्र मय अर्नेस्ट मनी, आवेदन शुल्क व पहचान पत्र आज दिनांक .... को प्रस्तुत किया जिसे इस समूह हेतु आवेदन सूचि में कम संख्या.......पर दर्ज किया गया।

दिनांक :

समय :

प्राप्तकर्त्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

आबकारी विभाग

वर्ष 2014–15 के आबकारी बन्दोबस्त के संदर्भ में चीरे हुए डोडा पोस्त के संयुक्त समूह (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकान एवं उससे सम्बद्व उत्पादन क्षेत्र में थोक) हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. डोडा पोस्त दुकान समूहो का विवरण

वर्ष 2014–15 के आबकारी बंदोबस्त के लिए चीरे हुए डोडापोस्त के 24 संयुक्त समूह (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकान एवं उससे सम्बद्व उत्पादन क्षेत्र में थोक) निर्धारित किये गये है। इन संयुक्त समूहों के क्षेत्र में शामिल दूकानों की संख्या, समूह की निर्धारित लाईसेंस फीस, वांछित अमानत राशि, आवेदन शुल्क की राशि एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी जहां आवेदन प्रस्तुत करना हैं, का विवरण **परिशिष्ठ–अ** पर संलग्न है। इन सभी 24 संयुक्त समूहों हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने हैं। डोडापोस्त उत्पादन क्षेत्र समूहों हेतु पृथक से आवेदन प्राप्त नही किये जायेगे बल्कि उत्पादन क्षेत्र को उपभोग क्षेत्र के समूह के साथ **सम्बद्व** किया गया हैं जिसका विवरण परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न हैं। इन संयुक्त समूह हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ठ "अ" में उल्लेखित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हैं।

2. पात्रता

चीरे हुए डोडा पोस्त के संयुक्त समूह के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते है।

मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेंगेः–

(क) कोई भी व्यक्ति जो स्वंय अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(ख) वर्ष 2013–14 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर 2013 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(ग) कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो,

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो,

(ङ) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति।

3. अवधि

अनुज्ञापत्र की अवधि एक वर्ष (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015) होगी।

4. <u>आवेदन पत्र</u>

4.1 आवेदन पत्र स्टेशनरी चार्ज रूपये 100/– जमा कराकर किसी भी जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट https://rajexcise.gov.in से लीगल साईज के 70 जी.एस.एम. सादे कागज पर डाउनलोड कर आवेदन कर सकेगा। आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाईट से आवेदन डाउनलोड किये जाने की स्थिति में स्टेशनरी चार्ज देय नही होगा। निर्धारित साईज एवं जी.एस.एम. कागज पर डाउनलोड नही करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता हैं। इन संयुक्त समूह हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ठ "अ" में उल्लेखित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने हैं।

4.2 संयुक्त समूहों के आवेदन हेतु, आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है, जिसका विनिर्दिष्ट जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा :

- 10 तक खुदरा दुकानों वाले समूह हेतु रूपये – 10,000/–
- 10 से अधिक खुदरा दुकानों के समूह हेतु रूपये – 20,000/–

आवेदन शुल्क वापसी योग्य नही होगा।

4.3 एक व्यक्ति को एक से अधिक संयुक्त समूह का आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक **संयुक्त** समूहों हेतु आवेदन करता हैं तथा एक से अधिक **संयुक्त** समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे सबसे अधिक अनुज्ञा राशि वाला समूह आवंटित किया जायेगा तथा शेष **संयुक्त** समूह का आवंटन आरक्षित सूची मे से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा। एक से अधिक **संयुक्त** समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को नही देने पर इसे आवेदन आमंत्रण शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए एक से अधिक **संयुक्त** समूह हेतु आवेदक का चयन निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवायी राशियां जप्त कर ली जायेगी। इस प्रकार एक से अधिक **संयुक्त** समूहों हेतु आवेदन पत्र आवेदक अपनी जोखिम पर प्रस्तुत करेगा तथा इस संबंध में कोई उजरदारी प्रस्तुत करने का हकदार नही होगा।

4.4 आवेदनकर्ता किसी दुकान समूह के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नाम व पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण पत्र/ ड्राईविंग लाईसेंस/क्रेडिट कार्ड/आयकर विभाग का पेनकार्ड/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करेगा।

4.5 आवेदन पत्र के भाग–1 पर आवेदक अपने हस्ताक्षर किसी राजकीय विभाग के अधिकारी/निरीक्षक अथवा ग्राम सेवक/पटवारी अथवा नगर पालिका/ परिषद/निगम/पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य से प्रमाणित करवायेंगा।

4.6 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग–1 व 3 पर अपने स्व–हस्ताक्षरित फोटो लगाने होंगे।

4.7 जो आवेदन अपूर्ण होंगे अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नही किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

5. <u>अमानत राशि</u> (earnest money)

चीरे हुए डोडा पोस्त के संयुक्त समूह हेतु अमानत राशि (earnest money) संबंधित **संयुक्त** समूह की वार्षिक अनुज्ञा राशि की 10 प्रतिशत राशि होगी। इस राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बनाया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। जिस आवेदन के साथ निर्धारित अमानत राशि संलग्न नही होगी, उस पर आगे विचार नही किया जायेगा। जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित कर दी जायेगी।

6. धरोहर राशि अदायगी

6.1 धरोहर राशि निर्धारित अनुज्ञाफीस की 33.33 प्रतिशत होगी। आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 10 प्रतिशत सत्यांकर राशि को समायोजित करते हुये वार्षिक अनुज्ञा राशि की 17 प्रतिशत राशि लॉटरी की दिनांक से 5 दिवस में (लॉटरी के दिन को छोडकर) व शेष 16.33 प्रतिशत लॉटरी की दिनांक (लॉटरी के दिन को छोडकर) से 10 दिवस में अथवा ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में नकद, राजकोष चालान, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी आवश्यक होगी।

6.2 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्तानुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नही करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा अमानत राशि/धरोहर राशि/लाईसेंस फीस राज्यसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नही दिया जायेगा।

6.3 अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2014—2015 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने तथा धरोहर राशि जब्त नही होने या अन्यथा समायोजित नही किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को वर्ष 2014—2015 की अंतिम मासिक किश्तो पेटे माह मार्च, 2015 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अंतिम किश्तो पेटे समायोजित करने पर अंतिम किश्तो की राशि पर ब्याज देय नही होगा।

7. बैंक गारन्टी प्रस्तुत करना

7.1 स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोडकर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, सफल आवेदक को वार्षिक अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

7.2 बैंक गारन्टी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिये जो राजस्थान में स्थित बैंक की किसी शाखा पर भुगतान योग्य हो। बैंक गारन्टी, गारन्टी अवधि के दौरान अखण्डनीय (irrevocable) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नही कर सकेगा। आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारन्टी के भुगतान की मांग (invoke) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त नकद भुगतान करना होगा भुगतान बाबत् बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही कर सकेगा।

7.3 जो अनुज्ञाधारी बैंक गारन्टी के ऐवज में नकद राशि जमा करवाऐंगे, उनकी जमा नकद राशि अन्यथा समायोजित नही किये जाने की स्थिति में माह नवम्बर

2014 की मासिक किश्त पेटे माह मार्च 2015 में समायोजित की जा सकेगी। इस प्रकार जमा राशि का समायोजन किये जाने पर ब्याज की राशि देय नही होगी।

8. दूकानों का संचालन

8.1 दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक रहेगा परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

8.2 वर्तमान में नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंति, स्वाधीनता दिवस एंव गांधी जयंति) को शुष्क दिवस रहेगा एंव भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसो पर दूकाने बंद रखनी होगी। इसके अतिरिक्त दूकान को बंद रखने व बिक्री समय पर जो भी नियंत्रण समय समय पर लगाये जाएगे उनकी पालना भी अनुज्ञाधारी को करनी होगी और इसके लिए उन्हे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जाएगी और न ही उसके द्वारा देय अनुज्ञा राशि मे कोई कमी की जाएगी। यदि अनुज्ञाधारी की दूकाने कानून व विभागीय व्यवस्था संबंधी कारणो से बंद रहती है तो भी देय राशि मे किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी।

8.3 डोडा पोस्त के खुदरा अनुज्ञाधारी संबंधित जिले के केवल पंजीकृत व्यसनियो को ही डोडापोस्त का विक्रय कर सकेगे। आवश्यकता पडने पर समूह में डोडापोस्त विक्रय/वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने एंव नियमितीकरण के लिए विभाग द्वारा सप्ताह में दूकान खुली रहने के दिवस निर्धारित किये जा सकेगे तथा डोडापोस्त का विक्रय विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में करने की व्यवस्था लागू की जा सकेगी जिसकी पालना करने हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा। इन निर्धारित दिवसो के अतिरिक्त दिवसो पर दूकानों को सील–चिट किये जाने की व्यवस्था भी आवश्यकता पडने पर की जा सकेगी।

8.4 अनुज्ञाधारी को डोडापोस्त का अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित करते हुए एक पट्टिका विभाग द्वारा निर्देशित साईज की प्रदर्शित करनी होगी। यह पट्टिका ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी जहां से व्यसनी इसे आसानी से देख सके/पढ सके

8.5 अनुज्ञाधारी को अपनी खुदरा दूकान/थोक गोदाम के दरवाजे पर 125 X 75 सेमी आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम व विवरण, दूकान के खुलने व बंद होने का समय, जिला आबकारी अधिकारी से स्वीकृत होने तथा डोडापोस्त का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य आदि का उल्लेख हो, लगाना आवश्यक होगा। दूकान/गोदाम का केवल एक ही दरवाजा होगा जो सार्वजनिक सडक पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिडकी आला या दीवार में छेद इत्यादि नही होगा। दरवाजे के अलावा पूरी दूकान/गोदाम पुख्ता छत सहित पक्का होगा। दूकान का काउन्टर विभाग के निर्देशानुसार विहित रीति के अनुसार रखना होगा। थोक गोदामों पर संचालन से पूर्व विद्युत कनेक्शन आवश्यक होगा। यह शर्त उत्पादन क्षेत्र के थोक गोदाम बोण्ड/होलसेल पर भी लागू होगी।

सभी दूकान/गोदाम आदि पर विभाग सर्विलेन्स रखे जाने हेतु अनुज्ञाधारी को आवश्यक निर्देश दे सकेगा जिसकी पालना करने हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य होगा।

8.6 आवश्यकता पडने पर विभाग उत्पादन क्षेत्र में अनुज्ञाधारी हेतु स्वीकृत किये जाने वाले बाण्डस/होलसेल की संख्या, संचालन व्यवस्था आदि पर नियंत्रण लगा सकेगा जिसकी पालना करने हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

8.7 यदि अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर डोडापोस्त बेचते हुए पाया जाता है या उत्पादन क्षेत्र का थोक अनुज्ञाधारी निर्धारित न्यूनतम क्रय मूल्य से कम दर पर किसानों से डोडापोस्त क्रय करते हुए पाया जाता है तो यह आवेदन आमंत्रण एंव अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा जिस हेतु प्रकरण दर्ज होने पर आबकारी विभाग द्वारा जांच उपरांत सिद्व पाये जाने पर अनुज्ञाधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा।

8.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान पर मात्र चीरे हुए डोडा पोस्त के विक्रय की ही अनुमति होगी। राज्य के चार जिलो– श्रीगंगानर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं चुरू– में पूर्व की भांति पाउडर के रूप में डोडा पोस्त बेचने की अनुमति रहेगी।

8.9 खुदरा दुकानों हेतु सम्बन्धित जिले के थोक दुकान से ही डोडा पोस्त निर्गम किया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त, राजस्थान थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारियों के मध्य डोडा पोस्त के क्रय, विक्रय एवं मात्रा को नियंत्रित कर सकेंगे।

8.10 अनुज्ञाधारी को डोडापेास्त के प्रत्येंक व्यवहार (Transaction) का हिसाब (किसी भी मात्रा का) निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा तथा एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी।

8.11 उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारियों को विभाग द्वारा निर्धारित क्रय मूल्य पर ही क्षैत्र के काश्तकारों से डोडापोस्त का क्रय करना होगा। उक्त क्रय मूल्य का सूचना पट्ट भी जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार तुलाई स्थान पर लगाना होगा।

8.12 डोडापोस्त उत्पादन क्षैत्र के काश्तकार से क्रय कर बाण्ड में लाये जाने एंव उत्पाद क्षेत्र के थोक से उपभोग क्षैत्र के थोक के मध्य एंव उपभोग क्षैत्र के थोक से खुदरा दूकानों के मध्य डोडापोस्त के परिवहन को सुचारू एंव नियंत्रित करने की दृष्टि से विभाग आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था कर सकेगा। उक्त व्यवस्था को लागू करने हेतु राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एंव साइकोट्रोपिक्स सबस्टेन्सेज रूल्स 1985 एंव अनुज्ञापत्र की शर्तो तथा प्रक्रिया में जो भी संशोधन आवश्यक होगे वे किये जा सकेगे जिसकी पालना करने हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा। अनुज्ञाधारी को विभाग द्वारा तय की गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार ही व्यवसाय संचालन करना होगा।

8.13 उत्पादन क्षेत्र के थोक विक्रेता, उपभोग क्षैत्र के किसी भी खुदरा अनुज्ञाधारी को सीधे ही चीरे हुए डोडा पोस्त नही बेच सकेंगे।

8.14 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से उॅची दर पर डोडा पोस्त का विक्रय नही कर सकेगे। वर्ष 2014–2015 की अवधि हेतु डोडा पोस्त का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य रूपये 500.00 प्रति किलोग्राम (आबकारी शुल्क एवं समस्त कर सहित) निर्धारित है, जिसकी पालना हेतु

अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा। अनुज्ञाधारी को दुसरे अनुज्ञाधारी या अन्य राज्यों के अनुज्ञाधारियों से मांग प्राप्त होने पर थोक विक्रय की अनुमति विभाग से लेनी आवश्यक होगी तथा इसका नियमानुसार परमिट/पास जारी करवाना आवश्यक होगा।

8.15 दुकान समूह के बारे में अन्य प्रावधान नीचे दिये गये है। आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ लेना चाहिये। किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान समूह के क्षेत्र/कस्बे/गॉव में दुकान नही लगा पाता है, तो भी वह धरोहर राशि/वार्षिक अनुज्ञा राशि या उसके द्वारा जमा करायी गयी किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नही होगा।

9. <u>डोडा पोस्त पर वेट</u> (vat)

वर्ष 2014–15 में डोडा पोस्त पर वेट लागू नहीं है।

10. <u>आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार</u>

10.1 अनुज्ञाधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान करना होगा।

10.2 इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क/प्रभार के भुगतान के लिये अनुज्ञाधारी बाध्य होगा।

11. <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना</u>

11.1 चीरे हुये डोडा पोस्त के परिशिष्ठ ''अ'' में वर्णित संयुक्त (खपत क्षेत्र के थोक एवं खुदरा विक्रय तथा उससे सम्बद्ध उत्पादन क्षेत्र में थोक) समूहें हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदन आमंत्रण की सूचना में निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। जिस समूह हेतु आवेदन किया जा रहा है, आवेदन फार्म उस समूह हेतु विनिर्दिष्ट जिला आबकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। आवेदन आमन्त्रण में निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद कोई आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा। किसी दुकान समूह हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। परिशिष्ठ ''अ'' में वर्णित समूहो के लिये लॉटरी विनिर्दिष्ट जिला आबकारी अधिकारी के मुख्यालय पर आवेदन आमन्त्रण सूचना में निर्धारित दिनांक को निकाली जायेगी।

11.2 प्रत्येक आवेदक उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन से पाबन्द रहेगा। प्रस्तुत किये गये आवेदन को वापस लेने अथवा उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार आवेदक को नही होगा।

11.3 संयुक्त समूह में उस समूह क्षेत्र के खपत क्षेत्र की थोक एवं खुदरा तथा सम्बद्ध उत्पादन क्षेत्र का थोक शामिल हैं। प्रत्येंक संयुक्त समूह के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

12. <u>दुकान समूह का आवंटन/लॉटरी प्रक्रिया</u>

12.1 उक्त पैरा संख्या 11.1 अनुसार लॉटरी अपेक्षित होने पर संयुक्त समूह की लॉटरी निकालने की कार्यवाही राज्य सरकार के द्वारा गठित एक समिति द्वारा सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के मुख्यालय पर निर्धारित दिनांक एवं समय

पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्य दिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी जिला कलक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर यथा समय उपलब्ध करा दी जावेगी। लॉटरी की कार्यवाही के दौरान उस **संयुक्त** समूह के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है। आवेदको को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गयी रसीद (आवेदन पत्र का भाग–3) अपने साथ रखे।

12.2 किसी **संयुक्त** समूह के लिये लॉटरी निकालने के लिये उस **संयुक्त** समूह हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग–2 को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी।

12.3 किसी **संयुक्त** समूह हेतु 3 अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूची (reserve list) बाबत् भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूची में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में धरोहर राशि की राशि जमा नही करवाता है या इसका चयन अन्य **संयुक्त** समूहों हेतु हो जाता हैं तो आरक्षित सूची में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जायेगी।

12.4 लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात सफल आवेदको की सूची सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी जिसकी सूचना उपभोग एवं उत्पादन क्षेत्र के संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को दी जायेगी। वांछित राशियां जमा करवा देने पर दुकानों हेतु अनुज्ञापत्र क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी/अतिरिक्त आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जाऐगे।

12.5 एक व्यक्ति को एक से अधिक समूह का आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक **संयुक्त** समूहों हेतु आवेदन करता हैं तथा एक से अधिक **संयुक्त** समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे सबसे अधिक अनुज्ञा राशि वाला **संयुक्त** समूह आवंटित किया जायेगा तथा शेष **संयुक्त** समूह का आवंटन आरक्षित सूची मे से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा। एक से अधिक **संयुक्त** समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को नही देने पर इसे आवेदन आमंत्रण शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए एक से अधिक **संयुक्त** समूह हेतु आवेदक का चयन निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवायी राशियां जप्त कर ली जायेगी। इस प्रकार एक से अधिक **संयुक्त** समूहों हेतु आवेदन पत्र आवेदक अपनी जोखिम पर प्रस्तुत करेगा तथा इस संबंध में कोई उजरदारी प्रस्तुत करने का हकदार नही होगा।

13. अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियों का भुगतान

वार्षिक अनुज्ञा फीस की पूर्ति समान मासिक किश्तो में करनी होगी। अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो का भुगतान सम्बन्धित माह के अन्तिम कार्य दिवस तक करना होगा। प्रत्येंक माह की मासिक किश्त की राशि को उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर अनुज्ञा फीस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। मासिक किश्त को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर मासिक किश्त की शेष राशि पर उसी माह की 1 तारीख से ब्याज की गणना की जावेगी। अनुज्ञा फीस की पूर्ति में रही कमी एंव अन्य देय राशियां मय ब्याज यदि कोई हो, अनुज्ञाधारी द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, विभाग के पास जमा उनकी किसी भी राशि से, अनुज्ञाधारी द्वारा

प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया की भांति उनकी समस्त चल–अचल संपतियों, वारिसो/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

14. अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियां जमा नही कराने, आवेदन प्रपत्र तथा अनुज्ञापत्र की शर्तो आदि का उल्लंघन करने पर जारी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र निरस्त करना

अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो एंव अन्य देय राशियों को निर्धारित समय पर जमा नही कराने, आवेदन प्रपत्र आवेदन के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञा पत्र की शर्तो की पालना नही करने तथा अन्य कोई उचित एंव पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को आवेदक अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र को उनकी जोखिम एंव लागत पर निरस्त करने तथा उनके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) को जप्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु वे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नही होगे। साथ ही दूकान समूह के पडत रहने अथवा पुनः दूकान समूह के कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से दूकान समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे संबंधित आवेदक अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू राजस्व की बकाया की भांति उनकी समस्त चल–अचल संपतियों से, उनके वारिसो/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि **संयुक्त** समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नही होगे।

15. उत्पादन क्षैत्र में संबंधित तहसील/गांवो के सभी काश्तकारो से ही कय एंव न्यूनतम कय मूल्य का प्रावधान

डोडापोस्त उत्पादन क्षैत्र के **संयुक्त** समूह के अनुज्ञाधारी उनके लिये निर्धारित समूह क्षैत्र के अफीम काश्तकारो से ही डोडापोस्त कय कर सकेगे। उत्पादक क्षैत्र के **संयुक्त** समूह अनुज्ञाधारियों को काश्तकारो से डोडा पोस्त कय पर न्यूनतम रूपये 125/– (अक्षरे रूपये एक सौ पच्चीस मात्र) प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करना होगा।

राज्य में डोडापोस्त की कुल मांग तथा डोडापोस्त उत्पादन होने वाले जिलों में जितने रकबें में अफीम काश्त की गई है, इसके आधार पर अनुज्ञाधारी को प्रत्येक काश्तकार से कितना डोडा प्रति आरी कय किया जाएगा इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अनुज्ञाधारी को इस प्रकार डोडापोस्त की निर्धारित मात्रा अफीम के हर काश्तकार एवं हर गांव से कय करना आवश्यक होगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं प्रकिया की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य होगा।

16. विवाद आदि की स्थिति में निर्णय

डोडापोस्त की दूकानो के क्षैत्र, आवेदन एंव आवेदन पत्र की शर्तो या अनुज्ञापत्र की शर्तो के संबंध में किसी प्रकार के विवाद तथा किसी तकनीकी त्रुटि, विषमता, लोप आदि की स्थिति के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा एंव अनुज्ञाधारी उससे बाध्य होगा।

17 अभिलेखो का संधारण

17.1 अनुज्ञाधारी को डोडापोस्त की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (balance) के प्रत्येंक व्यवहार (Transation) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुकाकर प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन का हिसाब दूकान बंद करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हल्के के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

17.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिय अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर , परमिट पास एंव डोडापोस्त का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा वह उसको दिन व रात में किसी भी समय दूकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येंक प्रकार का सहयोग देगा।

17.3 अुनज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को डोडा पोस्त के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकॉर्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकॉर्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्रधारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

18. बकाया राशियों की वसूली

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई भी आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधनों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियों/उनके वारिसो/उत्तराधिकारियों से की जायेगी । अनुज्ञाधारियों की संपतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

19 अन्य बिन्दु

19.1 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक

ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे। अनुज्ञाधारी उपरोक्त एक्ट एवं नियमों की विधिवत् पालना सुनिश्चित करेंगे।

19.2 आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें।

19.3 आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय/विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

(To be issued by the scheduled bank having it's branch office in the state of Rajasthan on non-judicial stamp of proper value as per the stamp and registration Act in force)

PROFORMA OF BANK GUARANTEE

Bank guarantee No.----------- Dated-----------------------

(1) Whereas the Governor of the state of Rajasthan (hereinafter called "the Government") having agreed to grant licence (s) to Sh./M/s-------------------------------------(hereinafter called "the said licensee(s)") after complying with certain prerequisite conditions by the licensee as per sanction letter no.-------------------- dated-------- issued in favour of the licensee and as per the terms and conditions of the licence to be issued (hereinafter called "the said licence(s)") for retail/wholesale sale of Lanced Poppy Heads in the area of L.P.H retail/wholesale shop ________________________________ at licence fee of Rs--------------------- for the period of 1-4-2014 to 31-3-2015 And whereas under the terms and conditions of sanction the said licensee (s) is required to submit Bank guarantee equal to 10% of licence fee.

We---

(indicate the name of Bank)

(hereinafter referred to as "the Bank") at the request of ----------------------------- (licensee(s)) do hereby undertake to pay to the government not exceeding Rs. ------------------------------(In words Rs.-- only) against any breach of terms and conditions

of said licences or non fulfilment or violation of any terms and conditions of the said licence (s) or any amount due against the said licensee.

2. We-------------------------------------- do hereby undertake to pay the amounts

(indicate the name of Bank)

due and payable under this guarantee immediately, without any demur or protest, merely on a demand from the District Excise Officer or any higher authority of the excise department on behalf of government stating that the amount claimed is due by way of any breach of terms and condition of said licences or non fulfilment or violation of any terms and conditions of the said licences or any amount due against the said licensee or by reason of failure of the licensee (s) to comply with the conditions of said licences. Any such demand made on the Bank shall be conclusive, absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, the bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs---------------- (In words Rs-------------------------only).

3. We--do hereby undertake to pay to the

(indicate the name of Bank)

Government an amount so demanded not withstanding any dispute or disputes raised by the Licensee (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, the Bank's liability under this present being absolute, unequivocal and unconditional. The payments so made by the Bank under this guarantee shall be valid discharge of our liability for payment there under and the Licensee (s) shall have no claim against the Bank for making such payment.

4. We---further agree that the guarantee

(indicate the name of Bank)

herein, above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said licences and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said licences have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the District Excise Officer---------------------- certifies that the terms & conditions of the said licences have been fully and properly carried out by the said licensee (s) and accordingly discharges this guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the 30th June 2015, the Bank shall be discharged from all liabilities under this guarantee thereafter. however if the last date of expiry of the bank guarantee happens to

be a holiday of the Bank, the Bank guarantee shall expire on the close of the next working day.

5. We ------------------------------------further agree that the Government shall

(indicate the name of Bank)

have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner the Bank's obligation hereunder to vary any of the terms & conditions of the said licences or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said licensee (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said licences and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said licensee (s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said licensee (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come in to force from the date of issue and will not be discharged/vitiated or affected due to the change in the Constitution of the Bank or the licensee (s) or addition of names of the other persons in the licence(s).

7. We-------------------------------undertake not to revoke this guarantee

(indicate the name of Bank)

during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

8. The Bank guarantee shall be payable at the District head quarter branch ----------------------------- in the State of Rajasthan.

(indicate the name of Bank)

9. The Bank has power to issue this guarantee in favour of the Government and the undersigned has full power to do so under power of Attorney dated ----------------------- granted to him by the Bank.

10. In witness I hereby ------------------------------son of-------------------------

(Full name)

Designation-------------------------- Branch----------------------------- constituted attorney of the said Bank has set my signature and Bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act

prevailing in the State of ----------------executed this day------------------------ of ----------------year 2014.

.For and on behalf of the Bank (Indicate the Bank)

(Signature & Designation with seal)

कार्यालय आबकारी आयुक्त,राजस्थान, उदयपुर

2 गुमानिया वाला, पंचवटी, उदयपुर (राज.) 313001 Phone : 0294 -2524911

क्रमांक प.23(1)आब / लेखा / 2014 / 629 दिनांकः 31.01.2014

डोडा पोस्त के संयुक्त समूह (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकान एवं उससे सम्बद्व उत्पादन क्षेत्र में थोक) हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के लिए आवेदन आमन्त्रण की सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2014–15 हेतु राज्य में डोडा पोस्त के 24 संयुक्त समूह (खपत क्षेत्र के थोक एवं खुदरा दुकान समूह एवं उससे सम्बद्व उत्पादन क्षेत्र में थोक) स्वीकृत करने हेतु समूहवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

2. डोडा पोस्त दुकाने जहां अवस्थित की जा सकेगी उसकी अनुज्ञाराशि एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण सभी जिला आबकारी अधिकारियों के नोटिस बोर्ड एवं आबकारी मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। यह सूचना विभाग के वेबसाईट http://www.rajexcise.net पर भी उपलब्ध रहेगी।

3. आवेदन पत्र स्टेशनरी चार्ज रूपये 100 / – जमा कराकर किसी भी जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट http://www.rajexcise.net से लीगल साईज के 70 जी.एस.एम. सादे कागज पर डाउनलोड कर आवेदन कर सकेगा। **आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाईट से** आवेदन डाउनलोड किये जाने की स्थिति में स्टेशनरी चार्ज देय नही होगा। **निर्धारित साईज एवं जी.एस.एम. कागज पर डाउनलोड नही करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता हैं।** आवेदन पत्र के साथ समूहवार निर्धारित अनुज्ञाराशि, दुकानों की संख्या एवं आवेदन के संदर्भ में अन्य शर्तो का विवरण उपलब्ध हैं।

4. संयुक्त समूहों के आवेदन हेतु, आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है, जिसका विनिर्दिष्ट जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा :

   - 10 तक खुदरा दुकानों वाले समूह हेतु रूपये – 10,000 / –
   - 10 से अधिक खुदरा दुकानों के समूह हेतु रूपये – 20,000 / –

   आवेदन शुल्क वापसी योग्य नही होगा।

5. **एक व्यक्ति को एक से अधिक समूह का आवंटन नहीं किया जायेगा।** यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक समूहों हेतु आवेदन करता हैं तथा एक से अधिक समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे सबसे अधिक अनुज्ञा राशि वाला समूह आवंटित किया जायेगा तथा शेष समूह का आवंटन आरक्षित सूची मे से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा। एक से अधिक समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को नही देने पर

इसे आवेदन आमंत्रण शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए एक से अधिक समूह हेतु आवेदक का चयन निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवायी राशियां जप्त कर ली जायेगी।

6. जिस संयुक्त समूह के लिये आवेदन किया जा रहा है, उसकी अनुज्ञाराशि की 10 प्रतिशत राशि का विनिर्दिष्ट जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट बतौर अर्नेस्टमनी संलग्न करना आवश्यक होगा, जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजित कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेंस/आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

7. सफल आवेदक को अनुज्ञाराशि की एक तिहाई राशि धरोहर राशि के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी तथा अनुज्ञाराशि की 10 प्रतिशत के बराबर राशि की बैंक गारन्टी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करनी होगी।

8. राज्य के समस्त 24 संयुक्त समूहों हेतु आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में दिनांक 17.02.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेगें, इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।

9. किसी समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 18.02.2014 को प्रातः 11.00 बजे विनिर्दिष्ट जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्य दिवस को भी जारी रहेगी।

10. जिन आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क, अर्नेस्टमनी अथवा पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हैं उन पर विचार नही किया जायेगा एवं उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

11. इस सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु इस कार्यालय अथवा विनिर्दिष्ट जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

परिशिष्ठ "अ"

चीरे हुए डोडापोस्त के 24 संयुक्त समूहों (उपभोग क्षेत्र में थोक तथा खुदरा दुकान एवं उससे सम्बद्ध उत्पादन क्षेत्र में थोक) का विवरण

क.सं.	समूह का नाम	समूह में शामिल क्षेत्र		समूह में शामिल दूकानों की संख्या			समूह की निर्धारित अनुज्ञा राशि (राशि लाख रूपये में)			10 प्रतिशत अमानत राशि (राशि लाख रू. में)	आवेदन शुल्क की राशि (राशि रूपयों में)	संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का नाम जिसके कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना हैं
		खपत क्षेत्र	उत्पादन क्षेत्र	खपत क्षेत्र में थोक	खपत क्षेत्र में खुदरा	उत्पादन क्षेत्र में	उपभोग क्षेत्र	उत्पादन क्षेत्र	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगानगर प्रथम एवं प्रतापगढ प्रथम	श्रीगंगानगर–सार्दुलशहर– श्रीकरणपुर तहसील क्षेत्र	प्रतापगढ तहसील के गांव : गंदेर, जांसडी, जहाजपुर, संचयी, अखेपुर, सोनपुर, कुलथाना, बिलेश्री अवलेश्वर, बजरंगढ, असावता, अरनिया, देवद, राजोरा, मचलाना, ठिकरिया, कटकडी, रिछावरा, प्रतापपुरा, नाथूखेडी, वरमण्डल, पलथान, अचलपुरिया, कल्याणपुरा, अमलावद, प्रतापगढ, कामलिया, धामलिया, दमाखेडी, साकरिया, मगरोडा, बरोठा, सेलारपुरा कला, धनश्री, साखरखेडी, बसेरा, बगवास, डाबला, गिरदोडा, हाडीजी का पिपलिया, बेलारा, तोपाखेडा, रामप्रतबरखेडा, यशवंतपुरा, कनोरा, चिमनाजी का पिपलिया, गादोला, भुआसिया, मोरझर।	3	14	1	320.07	193.56	513.63	51.3	20,000	श्रीगंगानगर
2	गंगानगर द्वितीय एवं प्रतापगढ द्वितीय	पदमपुर–रायसिंहनगर–अनूपगढ –गडसाना–सूरतगढ–श्रीविजयनगर तहसील क्षेत्र	प्रतापगढ तहसील के गांव : ढलमू, टाण्डा, कुलमीपुरा, धमोतर, बारावरदा, मेलियाखेडी, रठांजना, थडा, लालपुरा, काजलीखेडा, बीलाखेडा, कनकपुरा, कोलवी, काजली, सामन्तपुरा, बर्डिया, कुशालपुरा, झांतला, चमलावदा, साबाखेडा, खोरिया, बम्बोरी, पदमपुरा, चोकडी, कडियावद चारण, छायनपिपल्या, कोलवीछायन, बोरी, सेमलोपुर, टेरियाखेडी।	4	11	1	278.86	174.20	453.06	45.30	20,000	श्रीगंगानगर
3	चूरू एवं राशमी	चूरू	राशमी	2	14	1	267.69	161.17	428.86	42.88	20,000	चूरू
4	बीकानेर प्रथम एवं वल्लभनगर प्रथम	बीकानेर–कोलायत–नोखा तहसील क्षेत्र	वल्लभनगर तहसील के गांव : अमरपूरा अ, अमरपूरा ब, वाना, बरनी, बांसड़ा, भोपा का खेड़ा, चारगदिया, हमेरपूरा, खेरोदा,	1	10	1	102.43	62.07	164.50	16.45	10,000	बीकानेर

			लालपूरा, मेनार, ओनारसिंह का सारंगपूरा, संग्रामपूरा खेरोदा, सालेडा, तेलनखेडी, रूपावली।								
5	बीकानेर द्वितीय एवं वल्लभनगर द्वितीय	श्रीडूँगरगढ–लूणकरणसर–खाजुवाला–पूंगल–छतरगढ	वल्लभनगर तहसील के गांव : अमरपुरा लुणदा, गोपा की भागल, जसवन्तपुरा, केसरपुरा बडा, खेता खेडा, लूणदा, पिथलपुरा, राजपुरा बडा, रामपुरा, संग्रामपुरा लूणदा, सारंगपुरा जाटो का, सरवानिया, शिवपुरा।	1	9	1	98.84	64.52	163.36	16.33	10,000	बीकानेर
6	जैसलमेर एवं कपासन	जैसलमेर	तहसील क्षेत्र कपासन, भोपालसागर	2	8	1	257.97	176.01	433.98	43.39	10,000	जैसलमेर
7	हनुमानगढ प्रथम एवं छोटी सादडी प्रथम	हनुमानगढ–पीलिबंगा–संगरिया	तहसील छोटीसादडी के गांव :जाखमिया, बरखेडा, चापडोल, राजिया(वरखेडा), रम्भावली, बम्बोरा धाकडान, बरियाखेडा, हमेरपुरा, खेडीमजरा बसेडा, रघुनाथपुरा, बम्बोरी, खेडीकुण्डाल–मोतीपुरा, हरिपुरा, करजु, रावतपुरा, मानपुरा–धाकडान, मालीखेडा, राजुखेडा, बरवाडा–गुर्जर, मोहनपुरा, पीतलबडी, संतोकपुरिया, जलोदाजागीर, साठोला, हडमत्या जागीर, हिंगोरिया, प्रतापपुरा, राजपुरा, चान्दोली, बरवाडा देवल, सेमरथली, जीवनपुरा, हडमत्या कुण्डाल, बसेडा, सेमरडा, कारुण्डा, छोटीसादडी, अचलपुरा, बडेखन।	3	15	1	494.16	303.24	797.40	79.74	20,000	हनुमानगढ
8	हनुमानगढ द्वितीय एवं छोटी सादडी द्वितीय – बैगूं चतुर्थ	टीबी–नोहर–रावतसर–भादरा	तहसील छोटीसादडी के गांव : बसेडी कुण्डाल, केसुन्दा, सूबी, खेरमालिया, जलोदिया खुर्द, शोपुरा, जलोदिया केलुखेडा, धामनिया रोड, जमलावदा, बरकटी, बागदरी, धामनिया जागीर, गोमाना, महुडिया, स्वरुपगंज, चौहानखेडा, गायरियावास, भैरवी, नारायणी, भाटखेडा, चरलिया, जलमिन्डी, गागरोल, गोठडा, मलावदा एवं बेगूं तहसील के गांव :बामनहेडा, मडावदा, रायती, रायता, उठेनकलां, तुरकडी, गुलाना, गोविन्दपूरा, बदनपूरा, चेकली, धामंचा, धावलाकुडी, जांदोला, रामपूरिया ए, रामपूरिया बी, नयागांव चेची, चेची ए, चेची बी, बोरबावडी, कल्शणपुरा, सेमलिया, अमरपूरा, शोदर्शनपूरा, हनोतिया, कन्थारिया, गलिया बावडी, अनोपपूरा काकाजी, धनोरा, बाघ पाछली खेडी।	4	10	1	523.08	369.76	892.84	89.28	10,000	हनुमानगढ
9	जोधपुर प्रथम एवं डूँगला – मावली	जोधपुर–लुणी–शेरगढ–बालेसर–बावडी	तहसील क्षेत्र डूँगला एवं मावली तथा आर.सी.ए. उदयपुर	3	8	1	187.16	128.20	315.36	31.53	10,000	जोधपुर
10	जोधपुर द्वितीय एवं बडीसादडी – निम्बाहेडा	भोपालगढ–ओसियां–फलौदी–	तहसील क्षेत्र बडीसादडी एंव तहसील निम्बाहेडा के गांव : कचरिया खेडी, भगवानपूरा अ, भगवानपूरा ब, मक्खनपूरा,	2	10	1	238.36	206.91	445.27	44.52	10,000	जोधपुर

	चतुर्थ	बिलाडा–बाप–पिपाडसिटी	नरसिंहगढ, अहमदनगर, दल्ला किशनपूरा, सेमलिया, कोटडी कलां, कोटडी खुर्द, सरलाई, किशनपूरा, बाडी अ, बाडी ब, मरजीवी, मोठा, करथाना, बोरखेडी, गादोला ब, बांगरेडा मामादेव, खारामाणक चौक।									
11	बाडमेर प्रथम एवं निम्बाहेडा प्रथम	बाडमेर–रामसर–गडरा रोड़–शिव–चोहटन–सेडवा–बायतु	तहसील निम्बाहेडा के गांव : कोचवा, मनोहरखेडी, बांगेडाघाटा अ,बांगेडाघाटा ब, लुंणखन्दा, रावलिया, पीलखेडा, उंखलिया अ, उंखलिया ब, टीलाखेडा, कृपाराम की खेडी, चरलिया मेवासा, मेवासा जागीर, मोहम्मदपूरा, टाई अ, टाई ब, फाचर सोलंकी, अरनिया जोशी अ, अरनिया जोशी ब, आजमपूरा, रामपूरा, गरवाडा, बडावली अ, बडावली ब, दीपपूरा, भुवानिया खेडा, अरनोदा अ, अरनोदा ब, अरनोदा स, अरनोदा द, लक्ष्मीपूरा।	1	10	1	344.68	212.91	557.59	55.75	10,000	बाडमेर
12	बाडमेर द्वितीय एवं निम्बाहेडा द्वितीय	गिड़ा–धोरीमन्ना–सिणधरी –गुडामलानी–पचपदरा–समदडी –सिवाना	तहसील निम्बाहेडा के गांव : श्रीपूरा, धारेश्वर, निम्बोदा, मेलाना अ, मेलाना ब, सरसी अ, सरसी ब, कनेरा अ, कनेरा ब, कनेरा स, पाटियार–कनेरा।	2	12	1	213.44	131.62	345.06	34.50	20,000	बाडमेर
13	झूंझनूं एवं निम्बाहेडा तृतीय	राजस्व जिला झूंझनूं	तहसील निम्बाहेडा के गांव : बेणीपूरिया, ससेमलिया, देवपूरिया, सांखलों का खेडा, ढाणी, भुज्याखेडी, बडोलीघाटा अ, बडोलीघाटा ब, रठांजना अ, रठांजना ब, पेमंदाखेडा, कानपूरा, भावलिया, कारून्दा, मालियाखेडी, सरथल, शाहबाद, भट कोटडी, बोराखेडी, जावदा अ, जावदा ब, बडोली माधोसिंह, चंगेरी, धनोरा,लसडावन, मुण्डावली, भैरूखेडा, खेडा जदीप, अरनिया माली, लक्ष्मीपुरा, मांगरोल अ, मांगरोल ब, मांगरोल स।	2	16	1	233.05	141.94	374.99	37.49	20,000	झुंझनूं
14	सीकर एवं अरनोद	सीकर	अरनोद तहसील	2	13	1	181.16	110.84	292.00	29.20	20,000	सीकर
15	पाली एवं प्रतापगढ तृतीय	पाली	प्रतापगढ तहसील के गांव : पिलू, पानमोडी, बाजनी, भाटखेडी, हथूनिया, कचनारा, सिद्वपुरा, बमोतर घोडावद।	4	16	1	139.69	73.94	213.63	21.36	20,000	पाली
16	नागौर प्रथम एंव चितौडगढ प्रथम	नागौर–खिंवसर	चितौडगढ तहसील के गांव : फलासिया, बिलोला, पस्तोली, खोर, अमरपूरा सावा, सिंदवडी, रामपूरिया, मिश्रों की पीपली, काराखेडी, रोराडा, पावटिया, कश्मोर, रोजडा, रामाखेडा, तुम्बडिया, गुढा, उदपूरा, सेमल्यामाली, पालछा, उन्दरी, अमरपूरा (विजयपूर) बघेरिया, रावतों का तालाब, दौलतपूरा (विजयपूर), रास्या मगरी, गोरस्या, विजयपुरघाटा, भडकिया, भुगडिया, केल्झर, पालेर, गोपालपूराघाटा, सेमलपूरा, भेरूसिंहजी का खेडा, घटियावली का खेडा, पाल का खेडा अ, पाल का खेडा ब, पाल, शादी, कोटडी।	2	4	1	246.29	154.85	401.14	40.11	10,000	नागौर
17	नागौर द्वितीय एंव चितौडगढ द्वितीय – बैगूं	डीडवाना–लाडनूं–मेडतासिटी–डेगाना –कुचामन	चितौडगढ तहसील के गांव : रघुनाथपूरा, बीलोदा, ठिकरिया, ओडून्द, पाटनिया अ, पाटनिया ब, शम्भूपूरा, सावा, चिकसी अ,	3	7	1	163.64	128.07	291.71	29.17	10,000	नागौर

	प्रथम	–मकराना–परबतसर	चिकसी ब, एवं बेगूं तहसील के गांव : पालका, रावडदा, शादी, उमर, चंदाखेडी, ठुकराई, श्रीनगर, सुरतपूरा, सामरियां कलां, सामरियां खुर्द, तीखी का खेडा, भंवरिया, पालनपूर, रामनगर तारापीपली।									
18	जालौर एंव बैगूं द्वितीय	जालौर	बेगूं तहसील के गांव : बरनियास, खेरपूरा, भीछोर, नाल ए, नाल बी, खेडी नाल, मेघनिवास खुर्द, झाडोल तुम्बा, चावण्डिया, अमरतिया, कनकपूरा, तेजपूर, कुरातिया रामनगर, गोपालपूरा राजगढ, नाहरगढ पारसोली, हरदेवपूरा, गोपालपूरा (बेगू)।	2	11	1	148.49	96.78	245.27	24.52	20,000	जालौर
19	अजमेर एवं भदेसर	अजमेर	तहसील भदेसर	3	10	1	271.07	175.82	446.89	44.68	10,000	अजमेर
20	जयपुर एवं रावतभाटा	जयपुर	तहसील रावतभाटा	2	17	1	92.07	62.71	154.78	15.47	20,000	जयपुर ग्रामीण
21	बासंवाडा–डूँगरपुर–खैरवाडा धरियावद एवं मांडलगढ –जहाजपुर	बासंवाडा–डूँगरपुर–खैरवाडा धरियावद	तहसील मांडलगढ एवं जहाजपुर	1	12	1	32.41	21.74	54.15	5.41	20,000	बांसवाडा
22	अलवर–भरतपुर–धौलपुर –दौसा–सवाईमाधोपुर–करौली एवं बैगूं तृतीय	अलवर–भरतपुर–धौलपुर –दौसा–सवाईमाधोपुर–करौली	बेगूं तहसील के गांव : जालमपुरा, गुढा, बांदोडा, मुरोली, माधोपुर (म.प्र.), नरसिंहपुरा, नन्दबई, नीलियो की माल, शोपुरा, आमल्दा, चरछा, पीपलदा(बैगूं), डोराई, मेघपुरा, मण्डावरी, पाडावास, जोधा पटेल की खेडी, नया गांव मालका, राजपुरा चेनसिंह का , शोनगर, जयनगर, खेरमालियां, राजगढ, उमरकी खाल, रूपपुरा, बंदो का राजपुरिया, बलवंतनगर, कस्बा बैगूं, माधोपुर (बैगूं), किशोरपुरा, हरिपुरा(बैगूं), रामनगर (बंदो का), दौलतपुरा, आवंलहेडा, अनोपपुरा खरडी, गणेशपुरा, देदिया, कुलाटिया, सामरो का लेवा, खडी, सुवानिया, काटुन्दा।	4	11	1	245.18	171.17	416.35	41.63	20,000	अलवर
23	टोंक–बूंदी–भीलवाडा एवं छीपाबडौद–छबडा–झालावाड–खानपुर–अकलेरा –पिडावा–पचपहाड–गंगधार –रामगंजमंडी–कोटडी–बिजोलिया	टोंक–बूंदी–भीलवाडा	छीपाबडौद–छबडा–झालावाड–खानपुर–अकलेरा –पिडावा–पचपहाड–गंगधार –रामगंजमंडी–कोटडी–बिजोलिया	3	7	1	188.93	98.00	286.93	28.69	10,000	टोंक
24	सिरोही–उदयपुर–राजसमंद एवं गंगरार	सिरोही–उदयपुर–राजसमंद	तहसील गंगरार	2	9	1	86.07	46.79	132.86	13.28	10,000	सिरोही